

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रकरण संख्या- 10/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्रीमती सीमा कसाना पत्नि मनोज कुमार कसाना उम्र 40 वर्ष निवासी न्यू मार्केट
रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

.....प्रार्थीया

विरुद्ध

जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

.....विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :- श्री पी. के. बिल्लू।
अप्रार्थी की ओर से :- पेरोकार सरकार ।

दिनांक:- 20.12.2022

—:आदेश:-

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा बख्तपुरा प0ह0 लुहारिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 04 खसरा संख्या 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 कुल किता 13 कुल रकबा 8.6400 है0 कुल लगानी 24.5700 पै0 भूमि प्रार्थीया के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीया के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना-पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 के पड़ोसी खातेदार व प्रार्थीया के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीया ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीया की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीया को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थीया उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा बख्तपुरा प0ह0 लुहारिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 4 खसरा संख्या 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 कुल किता 13 कुल रकबा 8.6400 है0 कुल लगानी 24.5700 पै0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़